# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी : श्री वीरमाराम आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या 119/2021

| **प्रार्थीगण** | **बनाम** | **विप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| 1. सावलाराम पुत्र खुबाराम<br>2. बाबूलाल पुत्र खुबाराम<br>3. बुधाराम पुत्र खुबाराम<br>4. हुआदेवी पत्नी खुबाराम<br>5. भारमलराम पुत्र नवाराम<br>6. मगाराम पुत्र नवाराम<br>7. गोविन्दराम पुत्र नवाराम<br>8. नवाराम पुत्र धनाराम<br>9. प्रभूराम पुत्र धनाराम, जातियान प्रजापत निवासी डाबली नाडी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी, बाड़मेर | | 1. श्री तहसीलदार सिणधारी, बाड़मेर<br>2. दुर्गाराम पुत्र धनाराम जाति प्रजापत निवासी डाबली नाडी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी, बाड़मेर |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 2 एकतरफा।

## आदेश

दिनांक– 16.11.2022

**1.**संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि ग्राम नीरीया नाडा (डाबली नाडी) के खेत खसरा संख्या 303 व 304 कुल रकबा 196–03 बीघा भूमि में अवस्थित है। जिसकों पक्षकारान के द्वारा माननीय न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 384/2005 अनवान दुर्गाराम बनाम खुबाराम में निर्णय दिनांक–16–08–2011 को विभाजन करवा कर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार लठा ट्रैस में तरमीम की गयी जो सही थी और आज दिन तक उसी अनुसार मौके पक्षकारान का कब्जा काश्त और काबिज है । लठा ट्रैस में तरमीम किये गये नक्शे की प्रतिलिपि साथ पेश है। वर्तमान में तहसील[illegible] की राजस्व रेकर्ड का डिजीटल आनलाईन करते समय के बाद उक्त खसरे की स्थिति [illegible] मौके के स्थिति के विपरीत नक्शे में तरमीम को कर दिया गया और जहा पर प्रार्थी[illegible] का खेत व कब्जा है उस स्थान को सरकारी भूमि व जहा पर 32–05 बीघा का रकबा है उस[illegible] मात्र 05 बिस्वा का रकबा दिखा दिया गया है और नवाराम प्रभूराम व दुर्गाराम के खेत को एक खेत दिखाकर अन्य खातेदार खुबाराम के वारिशान के नाम का दिखा दिया गया है । इस प्रकार से भारी अनियमितता व मौके से बदलाव व लठा ट्रैस में तरमीम किये गये नक्शे से भिन्न तरमीम को अंजाम दिया गया है। प्रार्थी संख्या 1 से 5 तक के खातेदार को गलत जगह पर तरमीम में बताया गया है और उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार के द्वारा समर्पित रकबा मात्र 05 विस्वा को 32–05 बीघा में दिखाया गया है जो गलत है जिसे मौके व कब्जा काश्त के अनुसार किया जाना आवश्यक है। कि प्रार्थीगण के द्वारा अपने खसरों में हुई गलत तरमीम को सही करने के लिये पटवारी जी से निवेदन किया गया और तहसीलदार सिणधरी को दिनांक 22–07–2021 को एक प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज पेश कर उक्त तरमीम दुरुस्त करने व प्लोट संख्या में बदलाव करने व इस तरमीम को शुद्धि पत्र के माध्यम से शुद्धि करने का निवेदन किया गया लेकिन बाद में मामला तरमीम व नक्शे का होने के कारण तहसीलदार जी के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का होने से संशोधन से मना कर दिया और तरमीम दुरुस्ती का आवेदन श्रीमानजी के समक्ष पेश करने की सलाह दी गयी । कि प्रार्थीगण के द्वारा अपने खेत की नकल नक्शा प्राप्त करके अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर और सलाह लेकर उक्त माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से गलत तरमीम को सही व मौके व कब्जा काश्त के अनुसार दुरूस्त करवाने के लिये यह आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार तहसील सिणधरी के पटवार मंडल पायलां कलां के राजस्व ग्राम डाबली नाडी में खेत खसरा संख्या 304, 304 / 11 व 304/12 रकबा क्रमशः 05–2019, 0–0405, 0–0405 प्रार्थी संख्या 1 से 5 तक का सही रकबा व कब्जा काश्त की तरमीम सही करने व नया खसरा संख्या देकर सही करने व खसरा संख्या 304/2 का रकबा व नक्शा सही करने और खसरा संख्या 304/3 का रकबा व नक्शा सही करने व नया खसरा बनाकर तरमीम को सही करने आदेश फरमावें।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि ग्राम नीरीया नाडा (डाबली नाडी) के खेत खसरा संख्या 303 व 304 कुल रकबा 196–03 बीघा भुमि में अवस्थित है। जिसकों पक्षकारान के द्वारा माननीय न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 384/2005 अनवान दुर्गाराम बनाम खुबाराम में निर्णय दिनांक–16–08–2011 को विभाजन करवा कर अलग किया गया था और मौके व कब्जा के अनुसार लठा ट्रैस में तरमीम की गयी जो सही थी और आज दिन तक उसी अनुसार मौके पक्षकारान का कब्जा काश्त और काबिज है । लठा ट्रैस में तरमीम किये गये नक्शे की प्रतिलिपि साथ पेश है। वर्तमान में तहसील सिणधरी का राजस्व रेकर्ड का डिजीटल आनलाईन करते समय के बाद उक्त खसरे की स्थिति में भारी बदलाव कर मौके के स्थिति के विपरीत [illegible] तरमीम की कर दिया गया और जहा पर प्रार्थीगण का खेत व कब्जा है [illegible] जहा पर 32–05 बीघा का रकबा है उसकों मात्र 05 बिस्वा का रकबा दिखा दिया गया [illegible] नवाराम प्रभूराम व दुर्गाराम के खेत को एक खेत दिखाकर अन्य खातेदार खुबाराम के वारिश[illegible] के नाम का दिखा दिया गया है । इस प्रकार से भारी अनियमितता व मौके से बदलाव व लठा ट्रैस में तरमीम किये गये नक्शे से भिन्न तरमीम को अंजाम दिया गया है। प्रार्थी संख्या 1 से 5 तक के खातेदार को गलत जगह पर तरमीम में बताया गया है और उक्त खातेदार के द्वारा समर्पित रकबा मात्र 05 विस्वा को 32–05 बीघा में दिखाया गया है जो गलत है जिसे मौके व कब्जा काश्त के अनुसार किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया ग्राम नीरीया नाडा (डाबली नाडी) पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की खेत मूल खसरा संख्या 304 की भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 2 की सयुंक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है, जिसके पक्षकारान के मध्य हुए विभाजन अनुसार इन्य नये खरा नम्बरान में विभक्त होकर नये खसरा नम्बर कायम हुए। प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट मूल खसरा नम्बर 304 में से विभक्त होकर खसरा नम्बर 304,304/1 से 304/12 व 668/304 कायम हुए है। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.09.2022 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम तथा विभक्त खसरा नम्बरान् एवं उनके रकबे का सही अंकन नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम नीरीया नाडा (डाबली नाडी) पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या नम्बर 304,304/1 से 304/12 व 668/304 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.09.2022 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करते हुए तदनुसार खसरे एवं रकबे का सही अंकन किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं,संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16-11-2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी